सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 14 अगस्त, 1975

श्रावण 23, 1897 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3068/सत्रह-वि0-1-89-75,

लखनऊ, 14 अगस्त, 1975

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1975 पर दिनांक 13 अगस्त, 1975 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1975 ई0 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1975)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

फण्डामेन्टल रूल 56 का अग्रेतर संशोधन करने तथा सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में परिणाम स्वरूप संशोधन करने और उससे सम्बतद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1975 कहलायेगा। **संक्षिप्त नाम**

2- फाइनेन्शियल हैडबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के समय-समय पर यथासंशोधित नियम 56 (जिसे आगे उक्त नियम 56 कहा गया है)

फण्डामेन्टल रूल 56 का संशोधन

(1) खंड (क) के वर्तमान परन्तुकों व उनके स्पष्टीकरणों को निकाल दिया जाय:

(2) खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खंड रख दिये जाय, अर्थात:--

"(ग) खण्ड (क) या (ख) में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी) नोटिस देकर बिना कोई कारण बताये उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात सेवा-निवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है, या ऐसा सरकारी सेवक पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात या बीस वर्ष की अर्ह सेवा पूरी कर लेने पर किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर स्वेच्छया सेवानिवृत्त हो सकता है।

(घ) ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि -----

(1) किसी ऐसे सरकारी सेवक की पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से, ऐसी नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर तत्काल सेवा-निवृत्त किया जा सकता है, और ऐसी सेवा-निवृत्ति पर सरकारी सेवक, नोटिस की अवधि के लिय या, यथास्थति, ऐसी नोटिस तीन मास से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिये उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन का दावेदार होने का हकदार होगा जिस दर पर वह उनके अपनी सेवा-निवृत्ति के ठीक पहले पा रहा था।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो वह किसी सरकारी सेवक को किसी नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर, और नोटिस के बदले में उससे किसी शास्ति का भुगतान करने की अपेक्षा किए बिना, सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दे सकता है:

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सरकारी सेवक द्वारा जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन या आसन्न हो, दी गई नोटिस तभी प्रभावी होगी जब वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाय, किन्तु किसी आसन्न अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दे दी जायेगी:

प्रतिबन्ध यह भी है कि स्वेच्छया सेवा निवृत्त होने के लिए खंड (ग) के अधीन सरकारी सेवक द्वारा एक बार दी गई नोटिस उसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय, वापस नहीं ली जा सकेगी।

(ङ) प्रत्येक सरकारी सेवक के जो इस नियम के अधीन सेवा-निवृत्त होता है या जिससे सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, सुसंगत नियमों के अनुसार और उनके प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, सेवा-निवृत्त पेंन्शन देय होगी और सेवा-

निवृत्ति संबंधी अन्य लाभ, यदि कोई हों, उपलब्ध होंगे।

स्पष्टीकरण--- (1) नियुक्ति प्राधिकारी खंड (ग) के अधीन उसमें यथा विनिर्दिष्ट सेवा-निवृत्त के लिए सरकारी सेवक से अपेक्षा करने का निर्णय उस प्राधिकारी के द्वारा यह बात लोक हित में प्रतीत होने पर लेगा, किन्तु यहां पर दी गई किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि आदेश में इसका उल्लेख करने की अपेक्षा की गई है कि ऐसा निर्णय लोक हित में लिया गया है।

(2) प्रत्येक ऐसा निर्णय जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, लोक हित में लिया गया उपधारित किया जायगा।

(3) पद "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे ऐसे पद पर या सेवा में जिससे सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा सरकारी सेवक से की गई हो या सरकारी सेवक सेवा-निवृत्त होना चाहता हो, मौखिक नियुक्ति करने की तत्समय शाक्ति प्राप्त हो और पद "अर्ह सेवा " का वही अर्थ होगा जो सेवा-निवृत्त पेंशन से संबंधित सुसंगत नियमों में दिया हो।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश जिसमें सरकारी सेवक से इस नियम के खंड (घ) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन तत्काल सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की गई हो, जारी किये जाने के दिनांक के अपराह्न से प्रभावी होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसके जारी किये जाने के पश्चात सम्बद्य सरकारी सेवक सदाशयता से और उस आदेश की अनभिज्ञता से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करता है तो उसके कार्यो को, इस तथ्य के होते हुए भी कि वह पहले ही सेवा-निवृत्त हो गया, विधिमान्य समझा जायगा।

सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के आर्टिकिल 465 तथा 465-ए का विखंडन

3-- उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने लिये यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के आर्टिकिल 465 और 465-ए एतदद्यदारा विखंडित किये जाते है, सिवाय उन वातों के जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व तदद्यधीन की गई हों या अकरित हो।

अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व जारी किये गये आदेशों पर लागू होना

4--(1) यदि 1 नवम्बर, 1973 को या उसके पश्चात उक्त नियम 56 के खंड (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन या सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के आर्टिकिल 465 के नोट 1 के अधीन था आर्टिकिल 465-ए के नोट 1 के अधीन कोई आदेश दिया गया हो या दिया जाना अभिप्रेत हो जिसमें किसी सरकारी सेवक से बिना नोटिस के या तीन मास से कम अवधि की नोटिस पर सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की गई हो तो यदि ऐसे सरकारी सेवक को उक्त तीन मास की सम्पूर्ण अवधि या उसके भाग के लिये वेतन पहले ही नहीं दे दिया गया हो तो वह तीन मास की पूरी अवधि के लिये या, यथास्तिथ नोटिस तीन मास से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिये उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते की, यदि कोई हो, धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने का हकदार होगा जिस दर पर वह ऐसे आदेश के दिनांक के ठीक पहले पा रहा था।

(2) संदेहों को दूर करने के लिये, एतदद्वारा यह घोषणा की जाती है कि उक्त नियम 56 या उक्त रेगुलेशन्स या उस निर्मित्त किसी आदेश की

किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि आदेश द्वारा अपेक्षित सेवा-निवृत्त के पूर्व या साथ-साथ नोटिस की सम्पूर्ण अवधि या उसके भाग के लिए सरकारी सेवक की वस्तुतः भुगतान करने की अपेक्षा कभी भी की गई है, और ऐसा भुगतान न करने से आदेश की विधि मान्यता पर न तो कोई प्रभाव पडेगा और न कोई प्रभाव कभी पडा हुआ समझा जाएगा, भले ही किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में कोई प्रतिकूल बात दी हो, और राज्य सरकार चाहे तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीन मास के भीतर किसी ऐसे निर्णय, डिक्री या आदेश के पुनर्विलोकन के लिये किसी न्यायालय को आवेदन कर सकती है।

(3) शासनादेश संख्या 5/2/1973, नियुक्ति (3) दिनांक 2 नवम्बर, 1973 उसी दिनांक से निरस्त हुआ समझा जायेगा, व सेवा-निवृत्त का कोई आदेश इस आधार पर अवैध नहीं समझा जायेगा या कभी अवैध हुआ नहीं समझा जायगा कि वह उक्त शासनादेश से असंगत है।

निरसन तथा अपवाद

(5)-- (1) उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन लेखा वैधीकरण) अध्यादेश 1975 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यकारी इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम 7 जून, 1975 की प्रवृत्त हो गया था।